फर्द अहकाम

सत्यनारायण बनाम उजास कॉलेज वगै0

संख्याः 128 / 2024

क	आज्ञा विरतृत रूप से	विशेष विवरण
2024	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद मे अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी न.1 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादी न.1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वें वादीगण के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 609 कृषि भूमि खसरा नम्बर स्थित ग्राम गंवार ब्राह्मणान, खेडीगोकुलपुरा, शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पर अवैध रूप से जबरन बेदखल ना करे ना करावें एवं ना जबरन कब्जा करे व करावे तथा ना ही वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें व करावें। एव मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। बहस वादीगण एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण सीमाज्ञान का प्रार्थना तहसीलदार सांगानेर को पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादीगण से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वादीगण की वाके ग्राम गंवार ब्राह्मणान, खेडीगोकुलपुरा, शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 609 की वादीगण के सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र के आधार पर सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह कायम करे। सीमाज्ञान होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 को पा[illegible] जाता है कि वादीगण की भूमि की सीमा में [illegible] निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:46:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)